कार्यवाही विवरण

मेसर्स जयसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमि., द्वारा ग्राम–बरबसपुर, तहसील–भानुप्रतापपुर जिला–कांकेर (छ.ग.) में प्रस्तावित आयरन ओर माईन क्षमता– 0.06 एम.टी.पी.ए. (एरिया– 14.40 हेक्ट.) के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 01.12.2009 के प्रावधानानुसार लोकसुनवाई दिनांक 06.05.2011 (06 मई 2011) दिन शुक्रवार, सुबहः 11.00 बजे, स्थान– जनपद पंचायत कार्यालय परिसर भानुप्रतापपुर, जिला–कांकेर (छ.ग.), में कराई गई। राजपत्र में प्रकाशित प्रावधान के अनुसार सर्वसंबंधितों से मेसर्स जयसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमि., द्वारा ग्राम–बरबसपुर, तहसील–भानुप्रतापपुर जिला–कांकेर (छ.ग.) में प्रस्तावित आयरन ओर माईन क्षमता– 0.06 एम.टी.पी.ए. (एरिया– 14.40 हेक्ट.) के संबंध में सुझाव अथवा विचार 30 दिवसो के अंदर प्रस्तुत किये जाने के लिए सूचना का प्रकाशन राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र द सन्डे एक्सप्रेस एवं स्थानीय समाचार पत्र नवभारत, दैनिक भास्कर एवं हरिभूमि के अंक में दिनांक 03.04.2011 को जनसाधारण की जानकारी के प्रयोजनार्थ प्रकाशित कराया गया।

निर्धारित समयावधि में क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, जगदलपुर के समक्ष लिखित आपत्ति/सुझाव, एवं लोक सुनवाई के दौरान 02 लिखित आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुआ।

लोकसुनवाई प्रारंभ करने के पूर्व उपस्थित जन समुदाय को लोकसुनवाई प्रक्रिया की जानकारी दी गई। तत्पश्चात लोकसुनवाई के प्रथम चरण में प्रबंधन के प्रतिनिधी श्री पुरानिक शांतनु द्वारा परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी उपस्थित जन समुदाय को दी गई। साथ ही आसपास के क्षेत्रों का कम्पनी द्वारा क्या विकास किया जायेगा एवं परियोजना के तहत् मेसर्स जयसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमि., द्वारा ग्राम–बरबसपुर, तहसील–भानुप्रतापपुर जिला–कांकेर (छ.ग.) में प्रस्तावित आयरन ओर माईन क्षमता– 0.06 एम.टी.पी.ए. (एरिया– 14.40 हेक्ट.) स्थापना के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले जल/वायु एवं ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु प्रस्तावित उपायो की जानकारी उपस्थित जन समुदाय को दी गई।

लोकसुनवाई के दौरान ग्रामवासियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन/विचार/सुझाव के अनुसार उद्योग के द्वारा ग्राम–बरबसपुर, तहसील–भानुप्रतापपुर जिला–कांकेर (छ.ग.) में प्रस्तावित आयरन ओर माईन क्षमता– 0.06 एम.टी.पी.ए. (एरिया– 14.40 हेक्ट.) की स्थापना से ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा, शिक्षा के लिये अच्छा स्कूल खोली जावे, प्रभावित गांवों में सड़क का निर्माण कार्य कराया जावे। ग्रामीणों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जावे, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराया जावे। क्षेत्र के समुचित विकास पर विशेष ध्यान दिया जावे। आयरन ओर उत्खनन कार्य में ग्रामीणों की सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया जावे। खदान के उत्खनन से होने वाले जल प्रदूषण हेतु नाली एवं चैक डैंम, जल शुद्धिकरण की व्यवस्था की जावे। जिससे लोगों के खेत प्रभावित न हो। स्थानीय ग्रामीण एवं प्रभावित ग्रामवासियों को योग्यता अनुसार रोजगार दिया जावे। उद्योग के द्वारा ग्राम–बरबसपुर, तहसील–भानुप्रतापपुर जिला–कांकेर (छ.ग.) में प्रस्तावित आयरन ओर माईन क्षमता– 0.06 एम.टी.पी.ए. (एरिया– 14.40 हेक्ट.) की स्थापना करने से यहां विकास होगा। सही दिशा में लोकहित को ध्यान में रखकर कंपनी द्वारा विकास किया जावे। पर्यावरण सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान दिया जावे।

जन सुनवाई के दौरान उपस्थित जनसामान्य द्वारा प्रमुख रूप से निम्नलिखित मुद्दे उठाये गयें :—

1. **श्री हेमलाल कोमरा बरबसपुर**—यहां पर उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करता हूॅ। गांव के आसपास खदान से बरसात में पानी बहकर खेती को नुकसान पहुंचता है। लाल पानी से नुकसान होगा। उसका मुआवजा देना चाहिए। हमारे गांव में अस्पताल खुलना चाहिए। ठेकेदार खदान मालिक के तरफ से स्कूल की व्यवस्था करना चाहिए हमारे गांव की समिति में एक लाख पचास हजार रू. जमा करें। खेल का मैदान कम्पनी बनाये। गांव वालों को हर सुविधा देना होगा। गांव के तालाब में सीढ़िया बनवायें तथा तालाब सूखने के कारण कुंआ खुदवाये तथा तालाब गर्मी में सुख जाता है जिसको भरने की व्यवस्था की जायें। शीतला माता का मंदिर बनवाए। गांव के सभी गली पक्की करें।

2. **श्री अंकालू राम मण्डावी सरपंच ग्राम पंचायत बारबी**—माइन्स में मशीन का उपयोग नहीं होना चाहिये, मजदूरों से ही काम लेना होगा। विकास का प्रयास करना चाहिये। बांध बनाना चाहिए। अस्पताल, स्कूल,सड़क की व्यवस्था होना चाहिये। धमतरी के सेठ भी खदान से लोहा निकाल ले गया है। खदानों से आस—पास के विकास के लिए पैसा जमा करने कहा गया तो वे 5 प्रतिशत कहां दिया है। इस खदान में गांव के लोगों को रोजगार देना चाहिए।

3. **श्री भारत सिंह कोमरा ग्राम चारगांव**— मैं जनसुनवाई के लिए कहना चाहूंगा कि कम्पनी भरकस प्रयास करें कि क्षेत्र का विकास हो। बरसात के समय लाल पानी से होने वाले नुकसान का भरपाई करें। आसपास के गांव के लोगों के साथ छलकपट न करें। तथा रोजगार के लिए ग्रामवासियों को महत्व दें। जो भी काम करें आसपास के सभी गांवों के लोगों के साथ करें व रोजगार दें।

4. **श्री छविलाल मण्डावी ग्राम बरबसपुर**— हमारे ग्राम के पास में शिक्षा के क्षेत्र में एवं हर क्षेत्र में हमारा गांव पिछड़ा है। कोई भी उत्सव है, उससे कम्पनी सहयोग करें। तथा गांव वालों को रोजगार दें।

5. **श्री रामदेवा तेता ग्राम चारगांव**— माइन्स खुलने से चारगांव को बहुत ज्यादा नुकसान होगा उसके मुआवजें के लिए ठेकेदार को व्यवस्था करना है। शीतला माता मंदिर बनाए। महिलाओं के लिए भवन बनावें तथा ग्रामवासियों के लिए रोजगार जरूर दें।

6. **श्री बलदेव सिंह बड़े चारगांव**—गांव के आसपास के खदान पहले ही खुली थी। जो वादा नही निभाई है। इनके द्वारा खदान खोलने पर गांव का विकास हो रोड़ स्कूल, अस्पताल आदि होना चाहिए। संबंधित पंचायत के सभी नौजवानों को पहले प्राथमिकता देने चाहिए। सभी को काम देना चाहिए।

7. **श्री श्याम लाल कोमरा चारगांव वार्ड पंच**— माइन्स शुरू होगी बरबसपुर मे हम सभी लोग पूर्वज से ही यहां से अपना पालन पोषण का काम करते थे। इस माइन्स से लाल पानी आएगा उसका ध्यान देना है। हमारे आसपास जो गढ्ढा है उसे भरवाना पड़ेगा। हम लोगों के दुख सुख को कोई नही सुनेगा। हमारे तीन गांव के लोगों की समस्या का ध्यान देना जरूरी है। कंपनी द्वारा धोखा नही देना चाहिए। कंपनी तथा गांव के मजदूर संघ के साथ मिलकर काम करें ।

8. **<u>श्री नरोत्तम सिंह चौहान भाजपा जिला उपाध्यक्ष भानुप्रतापपुर</u>**– यह बहुत अच्छा है कि कंपनी खुलने से आसपास रोजगार पैदा होगा। सबसे पहले उस माइन्स में अनावश्यक मशीनरी का उपयोग नही किया जाये आदमियों से ही काम लिया जायें। जिससे उस गांवों के लोगों को ज्यादा–ज्यादा रोजगार मिल सके। माइन्स खुलने से लोगों को रोजगार पैदा होगा।

9. **<u>श्री हेम प्रकाश शिवहरे भानुप्रतापपुर</u>**– जहां पर विकास होता है वहां विनाश भी होता है। आपके द्वारा जो बताया जा रहा है। क्या अमल में लाएंगें। पर्यावरण का बहुत बड़ा नुकसान होगा। आपके द्वारा दिये गये कार्यक्रम में समय पर कार्य नही किया गया तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। आम लोगों की विकास होगा लेकिन कंपनी को अपने एजेन्डा अनुसार कार्य करें। जनता को स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।

10. **<u>श्री धरम सिंह मोर्य सरपंच ग्राम पंचायत भेजा</u>**– बहुत खुशी की बात है कि हमारे अंचल में स्टील प्लांट का खुलना तय है। उस क्षेत्र के सभी जनता जनप्रतिनिधि यहां उपस्थित है। उनके अपने विवके से पर्यावरण के संबंध में विकास के संबंध में अपना मत रखना है। कंपनी द्वारा प्लांट खोलने से नियम कानून का पालन करना है। उस क्षेत्र में भी कंपनी को पेड़ पौधों का रोपन करना चाहिए। तकनीकी व्यवस्था के अनुसार प्लांट में काम करने वाले मजदूरों का बीमा होना चाहिए। मशीन के स्थान पर गांव वालों को ही रोजगार दिया जाये। कंपनी द्वारा सारे पहलुओं में विचार कर स्वीकृति दी जाये। कंपनी खुलने से बहुत सारे विकास के रास्ते खुलेंगें।

11. **<u>श्री अर्जुन सिंह पोटाई ग्राम बारबी</u>**–हमारे पंचायत ग्राम बारबी में आसपास में रानवाही तक रोड बनाना चाहिए। स्कूल बनाना चाहिए। महिलाओं के लिए भवन बनाना चाहिए। खदान में रोजगार मिलना चाहिए। खदान में काम करने वालों को सहीं रोजी मिलना चाहिए। तथा सीसी गली तथा रोड़ बनाना चाहिए।

12. **<u>श्री बीरेस ठाकुर जनपद अध्यक्ष भानुप्रतापपुर</u>**– जनसनुवाई चारगांव में ही कराना चाहिए था। यहां पर उपस्थित जितने भी जनप्रतिनिधि ने अपने विचार रखें है। मैं कंपनी को बार–बार 6 बिन्दुओं पर याद दिलाना चाहूंगा कि कंपनी प्रारंभ करने के पहले किसी गरीब की खेती फंस रही है तो उसका मुआवजा शासकीय नई दर पर दिया जावे एवं परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देना पड़ेगा। आसपास के गांवों मैं मूलभूत समस्या है। इस कंपनी के माध्यम से पंचायत को गोद लें तथा मूलभूत समस्या का ध्यान दें। आवागमन के साधन, रोड़ पुल, पुलिया बनाई जाए, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए 5000 पेड़ काट रहे है तो 50 हजार वृक्षारोपण की जाये। हास्पिटल भवन, स्कूल भवन सामुदायिक भवन एवं पानी के लिए एक डैम बनवाया जाय। समस्त ग्राम पंचायतों के लोगों को बताना होगा कि कितना एरिया किस गांव की है। तथा आपके द्वारा कितना टन माल प्रतिदिन निकाला जावेगा। एवं कब तक निकाला जावेगा। हमारे ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत में रायल्टी को जमा करना चाहिए। जिससे जनपद के माध्यम से पंचायत के विकास मद में खर्च किया जावें।

13. **<u>श्री चेतन तांडिया ग्राम पंचायत हटारकसा</u>**– कंपनी द्वारा प्रोजेक्ट खोलने के बारे में सभी लोग खुशी जाहिर किये है। मैं भी उसका समर्थन करता हूॅं। कंपनी खुलने से काम की व्यवस्था होगी गांव के लोगों को रोजगार मिलेंगा। कंपनी खुलने से पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ेगा मिट्टी का क्षरण होगा। यह बात सहीं है। कंपनी बताती है कि हम सब व्यवस्था करेंगें। प्रोजेक्ट के द्वारा बताया जाता है कि हम सब व्यवस्था करेंगें। लेकिन सच बात यह है कि इनके द्वारा माल

खोदकर ले जाते है। कंपनी से पूछने पर बताया जाता है कि रायल्टी शासन के पास जमा कर दिया गया है। शासन के पास कौन जायेगा पूछने? सब वैसा का वैसा ही रह जाता है। कंपनी द्वारा जो वादा किया जा रहा है वह पूरा करेंगें मुझे विश्वास नही है। हम लोगों को पिछले बार छल कर चले गये है। इस बार नहीं हो पायेगा। गांव में कमेटी बनेगी। तथा गहन विचार करेंगें।

14. **श्री संतोष कड़ियार ग्राम हाटकर्रा**— हाथी निकल चुका है बस पूछ निकलना बाकी है। प्रबंधन से चाहूंगा कि प्रोजेक्ट से जो भी लाभ होगा उससे कितना प्रतिशत गांव के विकास में लगाया जावेगा। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा पानी आदि के लिए कितना खर्च करेंगे। हमारे गांव के खिलाफ नही होना चाहिए। इस प्रोजेक्ट को चालू करें। जिससे ग्राम का विकास हो।

15. **श्री राम सिंह दुग्गा ग्राम भेजा**— निक्को कंपनी चारगांव माइन्स खुलने के लिए एक दो बार बैठक हुआ था। इस माइन्स के निकट तीन पंचायत है। पहले जो कंपनी खुली थी वह वादा नही निभाई है। हम लोगों को सप्ताहिक बजार जाने के लिए सड़क नही है। जो कंपनी खुली थी उसमें 10 कि. मी. दूर के लोगों को मजदूरी में रखा गया था। हमारे गांव के लोगों को रोजगार नहीं दिया हमारे यहां का सारी दौलत लेकर चले जाते है। हम लोग जैसे के तैसे रह जाते है। हमारा कहना है कि हमारे गांव के लोगों का विकास करें तथा जो वादा करें वो निभाए।

16. **श्री सोहन कोमरा जनपद उपाध्यक्ष भानुप्रतापपुर**— गांव के विकास, क्षेत्र का विकास पहले नही हुआ तो अभी भी नही होगा। अगर कंपनी क्षेत्र के विकास के बारे में बात नहीं करती तो हम विरोध करते है।

17. **श्री संपतराम सोनवानी ग्राम हाटकर्रा**— चारगांव माइन्स के पहले जो माइन्स चली थी। वो माल खोदकर ले गई हमारा विकास नही हुआ। जब तक हमारे शर्तों को पूरा नहीं किया जाएगा काम चालू नही होने देगें। खदान चलने से भूमिगत प्रदूषण जल प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण होगा। इनकी भरपाई करना होगा। विकास के नाम पर कितना हिस्सा दिया जायेगा। जनहित को ध्यान में रखा जाये।

18. **श्री सुरेन्द्र कुमार हिचासी ग्राम बारबी**—हमारे पंचायत बारबी में मिनी स्टेडियम की व्यवस्था करें, ताकि मैदान सुरक्षित रहें। बारबी चौंक में यात्री प्रतीक्षालय एवं पेयजल की व्यवस्था करायें।

लोक सुनवाई के दौरान जन सामान्य द्वारा लिखित में 02 आपत्ति/सुझाव/विचार दर्ज कराई गई। जो कि संलग्न है। लोक सुनवाई में जन सामान्य की उपस्थिति लगभग 120 रही, एवं उपस्थिति पत्रक में 104 लोगों ने हस्ताक्षर किया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त की गई।

(एस.के. दीवान)
क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
जगदलपुर (छ.ग.)

(एन.के. खाखा)
कलेक्टर,
कलेक्टर, कांकेर,
जिला— उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)